संख्या–691/49–1–10–8(21)/10

प्रेषक,

अमल कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य भंडारण निगम,
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग–1 : लखनऊः दिनांकः 8 जून, 2010

विषयः– सार्वजनिक उपकमों/निगमों के कर्मियों को 7वें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में उ0प्र0 राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0भ0नि0/17641/स्थापना/पुनरीक्षित वेतनमान/2009–10, दिनांक 11–2–2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2(1) उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कम में उ0प्र0राज्य भण्डारण निगम के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों को सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1105/44–1–2009–77/2009 दिनॉक 16 अक्टूबर,2009 एवं शासनादेश संख्या–749/44–1–2010–77/2009 दिनॉक 26 अप्रैल,2010 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनॉक 01 जनवरी 2006 अथवा किसी अनुवर्ती तिथि से प्रकल्पित आधार पर आगणित करते हुये पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की इस प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान/सहायता देय नहीं होगी।

2(2)– पुनरीक्षित वेतन संरचना में उ0प्र0 राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1105/44–1–2009–77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 के प्रस्तर–1 उपप्रस्तर–6 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य होगा ।

2(3)– पुनरीक्षित वेतन संरचना में उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम के कार्मिकों को मकान किराया भत्ते एवं नगर प्रतिकर भत्ता का वही दर/व्यवस्था, जो राज्य कर्मियों

2/–

के लिये अनुमन्य है, उपर्युक्त प्रस्तर–2(1) में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी ।

2(4)– पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1105/44–1–2009–77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 में निहित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा विकल्प की तिथि जो भी बाद में हो से प्रकल्पित आधार पर करते हुए उसका वास्तविक लाभ/नगद भुगतान तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जायेगा ।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–2–यू0ओ0–284/दस–2010 दिनांक 07 जून.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमल कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 691 (1)/49–1–10–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4– प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5– निबन्धक, सहकारी समितिया,उ0प्र0, लखनऊ।
6– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7
8– सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1/2
9– गोपन अनुभाग–1
10– महालेखाकार, (वाणिज्यिक) उ0प्र0, लखनऊ ।
11– अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वहीद उल्लाह)
संयुक्त सचिव।